राज्य स्तरीय दो दिवसीय सम्मेलन, 17-18 दिसम्बर 2022, जेवियर कॉलेज, राँची

विषय - आदिवासी भाषाएँ - दशा और दिशा : एक वैचारिक अध्ययन

दिवस -18.12.2022, विषय शीर्षक : वर्तमान झारखण्ड में आदिवासी भाषाएँ

प्रस्तुति - डॉ. नारायण उराँव 'सैन्दा', अध्यक्षता - फा. अगुस्तिन केरकेट्टा

**** वर्तमान झारखण्ड में आदिवासी**

झारखण्ड (15 नवम्बर 2000 ई.) - नये राज्य का उदय

झारखण्ड (08 जून 2003 ई. के पहले) - 30 ST (as per 76th Amendment)

झारखण्ड (08 जून 2003 ई. के बाद) - 32 S. T. (kanwar & kol are annexed)

इस तरह अनु0जन0जा0 ही यदि आदिवासी हैं तो झारखण्ड में 32 आदिवासी समूह हैं।

**** वर्तमान झारखण्ड में आदिवासी भाषाएँ**

शिक्षाविदों में, विशेषकर आदिवासियों में मान्यता है कि
सभी आदिवासियों की अपनी विशिष्ट भाषा एवं संस्कृति होती है,
इस तरह 32 आदिवासियों की 32 आदिवासी भाषाएँ होनी चाहिए, परन्तु
राँची विश्वविद्यालय, राँची में वर्ष 1980 से मात्र 05 आदिवासी भाषाओं में
पढ़ाई-लिखाई हो रही है। अर्थात :- 32 - 5 = 27 आदिवासी भाषाएँ ही उच्च शिक्षा
लायक हैं। तब प्रश्न है - उन 32 में से 27 आदिवासी भाषा-संस्कृति का क्या हुआ ??

** इधर झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2018 में 06 आदिवासी भाषाओं (कुंड़ुख़, मुण्डा,
खडिया, हो, संताल, भूमिज) को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है।
अर्थात बिहार से झारखण्ड बनने के बाद दो आदिवासी भाषा
(खडिया और भूमिज) को सरकारी मान्यता मिली है।

** तब प्रश्न है - क्या झारखण्ड में 32 आदिवासी जातियों की भाषाओं में से
26 की भाषाएँ, विलुप्ती के कगार पर हैं या उनकी प्राकृतिक मौत हो चुकी है ??
साथ ही उन भाषाओं से जुड़ी उन विशिष्ट संस्कृतियों का क्या हुआ ??
क्या, भाषा और उनकी संस्कृति दोनों साथ-साथ समाप्ति की दशा में है,
यह मानवीय इतिहास एवं हमारे आदिवासी इतिहास के लिए घोर संकट का विषय है ??

**** संयुक्त बिहार में आदिवासी भाषाओं की दशा-दिशा**

पूर्व में बिहार सरकार के नजर में सर्वप्रथम, 13 अगस्त 1953 में
04 आदिवासी भाषाओं (उराँव, मुण्डा, हो, संताल) को मातृभाषा हेतु घोषणा हुई,
तथा वर्ष 1956 में इन मातृभाषाओं से प्राथमिक शिक्षा देने का सरकारी अधिसूचना जारी हुआ।
उसके बाद, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग ने सरकारी एवं अल्पसंख्यक, दोनों तरह के स्कूलों
के लिए 1956, 1971, 1972, 1976, 1991 आदि में विभगीय अधिसूचना जारी हुआ,
परन्तु इस ओर न तो सरकार आगे बढ़ पायी, न ही आदिवासी समाज !!
यदि सरकार चुप थी, तो आदिवासी समाज क्यों चुप रही ??

बिहार सरकार में आदिवासी भाषा का पाठ्यक्रम -

कक्षा 1 से कक्षा 10 तक 3(तीन) भाषा विषय (हिन्दी, अंगरेजी एवं उर्दू/संस्कृत)
तथा एच्छिक विषय के स्थान पर 4था विषय के रूप में आदिवासी भाषा विषय या अन्य
पढ़ने का विकल्प था। पर आदिवासी समाज के लोगों ने क्या किया ?? शायद 4था भाषा
विषय की पढ़ाई, अभिभावकों एवं छात्रों के लिए अतिरिक्त बोझ समझा गया होगा ??
यहां समाज कमजोर रहा, क्योंकि भाषा विकास में सरकार एवं समाज दोनों की भागेदारी है !!

बिहार सरकार में भाषा विकास संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय -

** वर्ष 1960 में, मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा देवनागरी लिपि में होगी।
** वर्ष 1971 में, बिहार में राज्य सरकार द्वारा - हिन्दी, बंगला, उडिया, उर्दू, मैथिली,
संताली, उरांव, हो और मुण्डारी (कुल 9) को मातृभाषा के रूप में घोषणा।
** वर्ष 1973-74 में, बिहार सरकार ने कोठारी आयोग के त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत
पढ़ाई-लिखाई में हिन्दी एवं अंगरेजी के अतिरिक्त तीसरी भाषा के रूप में - उर्दू, बंगला,
उडिया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड, मैथिली, नेपाली, उरांव,
मुण्डारी, हो, संताली (कुल 16) में से किसी एक को चुनने का अवसर प्रदान किया गया था।
** यहां भी समाज पीछे रहा, भाषा विकास में सरकार मददगार होती है, कार्य तो समाज का है।

वर्तमान झारखण्ड में आदिवासी भाषाओं की दशा में परिवर्तन

नये झारखण्ड में राज्य सरकार द्वारा कई अच्छे निर्णय हुए हैं –

1. वर्ष 2001 में, 2002 से माध्यमिक परीक्षा हेतु झारखण्ड सरकार, शिक्षा विभाग का निर्णय – मैट्रिक परीक्षा में 3 (तीन) भाषा विषय, हिन्दी एवं अंगरेजी तथा एच्छिक भाषा में से एक (संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, उडिया, उरांव, मुण्डारी, हो, संताली) रखा गया जो आदिवासी समाज के लिए बेहतर था, पर समाज के लोगों ने इसे ध्यान नहीं दिया ??
यहां भी विभिन्न तरह के स्कूल संचालक चुप्प रहे !!!

2. वर्ष 2003 में झारखण्ड सरकार द्वारा Medium of instruction (पढ़ाई के माध्यम का तरीका) का निर्णय लिया गया कि – जिस मातृभाषा की अपनी लिपि नहीं है उसकी पढ़ाई-लिखाई देवनागरी लिपि में होगी। अर्थात जिन भाषाओं की अपनी लिपि है वे अपनी लिपि में लिखें-पढ़।

3. वर्ष 2003 में झारखण्ड सरकार ने भाषा एवं उसकी लिपि के संबंध में कहा कि – संताली भाषा की लिपि ओल चिकि, हो भाषा की लिपि वराङ चिति तथा कुंड़ुख़/उरांव भाषा की लिपि तोलोंग सिकि है।
*** परन्तु झारखण्ड बनने के 22 वर्ष बाद भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी सरकार और समाज, हिन्दी, अंगरेजी तथा संस्कृत/उर्दू में उलझा हुआ है।

**** झारखण्ड सरकार में द्वितीय राजकीय भाषा की घोषणा एवं आदिवासी भाषाएँ**

** वर्ष 2011 में झारखण्ड सरकार में 05 आदिवासी भाषाओं (कुंड़ुख़, मुण्डा, खडिया, हो, संताल) को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा मिला।

** वर्ष 2018 में झारखण्ड सरकार राजकीय भाषा की सूची में एक और आदिवासी भाषा को शामिल किया और कुंड़ुख़, मुण्डा, खडिया, हो, संताल, भूमिज (कुल 6) को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया।

** वैसे वर्ष 2018 झारखण्ड सरकार में जिन 17 भाषाओं को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है – वे हैं उर्दू, बंगला, उडिया, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनियां, उरांव/कुड़ुख़, मुण्डारी, खडिया, हो, संताली, भूमिज।

इस तरह, $32 - 6 = 26$

अर्थात 26 आदिवासी भाषाएं, सरकार के नजर से वर्तमान में भी ओझल है।?

झारखण्ड की शिक्षा व्यवस्था एवं आदिवासी समाज

1. रांची विश्वविद्यालय, रांची के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में मात्र 05 आदिवासी भाषाओं (कुंड़ुख़, मुण्डा, खडिया, हो, संताली) की पढ़ाई, देवनागरी लिपि के माध्यम से होती है। इन विषयों में शिक्षकों की बहाली हुई है।

** वैसे कई शिक्षाविदों का मानना है कि संकट ग्रस्त भाषा के संरक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में भाषा एवं लिपि सीखनी चाहिए, तभी लोग इसकी महत्ता समझगे।

2. प्राथमिक शिक्षा में अब तक मातृभाषा शिक्षा का आरंभ 2022 तक नहीं हुआ है।

3. वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया गया है, जिसके आलोक में झारखड सरकार द्वारा वर्ष 2022 से 05 आदिवासी भाषा (कुंड़ुख़, मुण्डा, खडिया हो संताल) को मातृभाषा शिक्षा हेतु अधिसूचना जारी किया गया है।

** सरकार की यह योजना, एक विकल्प है, समाज को, इस योजना में शामिल होना चाहिए !!!

झारखण्ड में शिक्षा व्यवस्था और आदिवासी भाषाएँ

1. सरकारी विद्यालय - हिन्दी, अंगरेजी, संस्कृत/उर्दू या आदिवासी भाषा

2. अल्पसंख्यक विद्यालय - हिन्दी, अंगरेजी, संस्कृत/उर्दू या अन्य

(क) धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालय - हिन्दी, अंगरेजी, संस्कृत/उर्दू या अन्य

(ख) भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालय - हिन्दी, अंगरेजी, संस्कृत/उर्दू या अन्य

3. गैर सरकारी विद्यालय - हिन्दी, अंगरेजी, आदिवासी भाषा या संस्कृत

(क) अनुमति प्राप्त विद्यालय - हिन्दी, अंगरेजी, संस्कृत/उर्दू या अन्य

(ख) प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय - हिन्दी, अंगरेजी, संस्कृत/उर्दू या अन्य

4. सी.एस.आर./टी.एस.एफ. :- हो/वरांगचिति : 240, संताली/ओलचिकि : 210, कुँड़ुख़/तोलोंगसिकि : 51, भूमिज : 40, मुण्डारी : 30, खडिया : 5.

5. एन.जी.ओ. / आंगनवाड़ी / धमकुडिया - प्राथमिक स्तर पर

आदिवासी भाषाएँ और शिक्षा व्यवस्था

भाषा के दो प्रकार है -1. मौखिक (Verbal) 2. लिखित (Visual)

हम सभी आदिवासियों के पूर्वजों के पास मौखिक भाषा थी, जो विरासत में हम सबों को प्राप्त है। किन्तु लिखित भाषा का रूप या लिखने का तरीका नहीं था, जिससे दूसरे की तुलना में हमलोग पिछड़े और पिछड़ते चले गए।

**आज आदिवासी समाज दो सभ्यता के जीवन शैली से बंधा हुआ है -

1. वैदिक सभ्यता 2. रोमन सभ्यता

वैसे वर्तमान समय में रोजगार की भाषा हिन्दी और अंगरेजी का पठन-पाठन जरूरी है, पर अपना आदिवासी स्वाभिमान हेतु भाषा एवं संस्कृति को बचाये रखना भी जरूरी है। तब प्रश्न है - भाषा एवं संस्कृति बचेगी कैसे ?? इसका उत्तर है - संस्कृति तभी बचेगी जब भाषा बचेगी और भाषा तभी बचेगी, जब भाषा की पढ़ाई-लिखाई स्कूलों में होगी। क्या, आदिवासी समाज इसके लिए तैयार है ??

** साथ ही आज के वैश्वीकरण के दौर में, अपनी मातृभाषा की लिपि भी आवश्यक है !!

वर्तमान झारखण्ड में आदिवासी भाषा का पठन-पाठन का माध्यम

1. देश की आजादी से पहले, आदिवासी भाषाओं को रोमन लिपि में लिखा-पढ़ा गया।
2. आजादी के बाद वैदिक सभ्यता पर आधारित देवनागरी लिपि से लिखा-पढ़ा जा रहा है।
3. झारखण्ड के विश्वविद्यालयों में एक हो शोधार्थी द्वारा, हो भाषा-लिपि में शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया, पर उन्हें प्रथम दृष्टया अनुमति नहीं मिला। जानकारी मिलने तक मामला लंबित था।
4. इस विषय पर श्री महादेव टोप्पो जी का एक लेख हम सबों को झकझोरता है - कौन बनेगा, आदिवासी भाषा का कामिल बुल्के। इस बारे में जानकारी मिली कि फा. कामिल बुल्के जब अपना हिन्दी विषय का शोध प्रबंध हिन्दी में लिखकर जमा कर रहे थे, तब उन्हें प्रथम दृष्टया अनुमति नहीं दिया गया और क्योंकि उस समय तक सभी विषयों का शोध प्रबंध अंगरेजी में लिखा जाता था, इसलिए उन्हें भी अंगरेजी में लिखने के लिए कहा गया, जिसके लिए वे तैयार नहीं थे और अंत में उनके सिद्धांत की जीत हुई और वे हिन्दी विषय का शोध प्रबंध हिन्दी में लिखकर जमा कर सके।

क्या, हमलोग भी अपनी भाषा-संस्कृति और आदिवासी पहचान के लिए अपनी मातृभाषा की अपनी लिपि के बारे में सोचेंगे ??
इस प्रश्न से कई लोग सहमत होंगे और कई लोग असहमत !!!
परन्तु, झारखण्ड में कई दशकों के आदिवासी आन्दोलन एवं झारखण्ड अलग प्रांत आन्दोलन के बीच अबतक तीन आदिवासी भाषा की लिपियां राज्य सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है।

मैं डॉ0 नारायण उराँव 'सैन्दा' एक कुँड़ुख़ भाषी हूं तथा कुँड़ुख़ की लिपि, तोलोंग सिकि के विकास यात्रा का सहभागी हूँ। इस लिपि का कम्प्यूटर वर्जन केलितोलोंग फोन्ट के नाम से श्री किसलय जा द्वारा विकसित किया गया है। इस लिपि की झलक आपलोगों के समक्ष प्रस्तुत है।

(कुँड़ुख़ तोलोङ सिकि तो:ड़पाब)
Tolong Siki Alphabet / तोलोङ सिकि वर्णमाला
(सरह तोड़) = स्वर वर्ण (Vowels)
इ i
ए e
उ u
ओ o
अ a
आ ā
: (सेला) = लम्बी ध्वनि, ˙ (मितला) = नासिक्य व्यंजन सूचक, ' (घेतला) = शब्दखण्ड सूचक,
~ (एवाँ) = नासिक्य स्वर सूचक, ‿ (रेवाँ) = लुप्ताकार र, । (हेचका) = व्यंजन अ
(हरह तोड़) = व्यंजन वर्ण (Consonants)
(लेक्खा) संख्या, Numerals
प् p, फ् ph, ब् b, भ् bh, म् m
त् t, थ् th, द् d, ध् dh, न् n
ट् ṭ, ठ् ṭh, ड् ḍ, ढ् ḍh, ण् ṇ
च् ch, छ् chh, ज् j, झ् jh, ञ् n̈
क् k, ख् kh, ग् g, घ् gh, ङ् ṅ
य् y, र् r, ल् l, व् w, ञ् ż
स् s, ह् h, ख़् x, ड़् ṛ, ढ़् ṛh
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ख़द्दर गही कत्थलूर अरा कत्थ बेयाँख़ो = बच्चों का भाषा ज्ञान और भाषा विज्ञान
(पा), (बा), (मा), (ता), (दा), (ना), (का), (गा), (जा)
(पपा) = रोटी, (बबा) = पिताजी, (ममा) = Cooked rice, भात।
(पल्ल) = दाँत, (बई) = मूँह, (मेलख़ा) = Epiglottis, उप कण्ठ।
(ततख़ा) = जीभ, (दुदु) = दूध, (नरटी) = Oesophagus, ग्रासिका।
ता:का एमसा:र'ई, पल्ले बई मेलख़ा, होलेम चीं:ख़नर ख़द्दर।
ततख़ा, दुदहिन, नरटी तरा नतगी, होलेम उज्जनर ख़द्दर।।
(कुंडुख़ भाषा, संस्कृति, सामाजिक एंव प्राकृतिक अवदान तथा भाषा विज्ञान आधारित लिपि)

मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

संख्या-प्रा०शि०नि० 620/01 1278/

भारतीय संविधान की धारा 350 क० के प्रावधानों के तहत प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण कार्य संचालित करने की व्यवस्था की गई है, एवं इस व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य में मातृभाषा के रूप में हिन्दी, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, मैथिली, संथाली, उरांव (कुडुख), हो, मुंडारी एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए अंग्रेजी भाषा को मान्यता दी गई।

झारखंड राज्य के गठन के पश्चात यह आवश्यक हो गया कि राज्य की भौगोलिक सीमा में आवासित विभिन्न जाति, समुदाय एवं ऐसे भाषा-भाषी समुदायों के लिए क्षेत्र विशेष में, वर्ष 1991 की भाषा संबंधी भारत की जनगणना के आधार पर इनकी आबादी के अनुरूप एवं उनकी भाषा संबंधी भावनाओं का समादर करते हुए उनके सामाजिक परिवेश के अनुरूप भाषा नीति लागू किया जाए।

2\. तदनुसार एतद् संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, कि झारखंड की भौगोलिक सीमा के, बहु-भाषा भाषी क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या/पर्याप्तों के आधार पर प्रारंभिक शिक्षण के क्षेत्र में वर्ग 1 से चिन्हित स्थान विशेष में हिन्दी राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त, मातृभाषा के रूप में, वर्ग एक से हिन्दी, बंगला, उड़िया, उर्दू, संथाली, उरांव (कुडुख), हो, मुंडारी, खड़िया, खोरठा, कुरमाली तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से मातृभाषा के रूप में प्रारंभिक शिक्षण कार्य कराने की अनुमति दी जाए। इनमें से जिन मातृ भाषाओं की अपनी लिपि नहीं है, उनकी उनकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि की मान्यता दी जाय।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार के इस संकल्प को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाए या उसकी प्रति निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड रांची को प्रेषित की जाए।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से
(अमित खरे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक प्रा०शि०नि० 620/01 1278 /दिनांक 4-6-03/

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अमित खरे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक प्रा०शि०नि० 620/01 1278 /दिनांक 4-6-03/

प्रतिलिपि: माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अमित खरे)

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

मुखत्यार सिंह, भा० प्र० से०
Mukhtiar Singh, I.A.S.
आयुक्त एवं सचिव
Commissioner and Secretary

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची।
Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha, Government Jharkhand, Ranchi.
☎ 0651 - 2403221 (Off.)
0651 - 2480048 (Res.)
0651 - 2403253 (Fax)

114

पत्रांक :-8/रा०-8/2001का0-129, दिनांक : 18-9-2003

सेवा मे,

सचिव,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय :- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में संथाली, मुण्डारी, हो एवं उरांव/कुरूख भाषा को शामिल करने के संबंध में।

महोदय,

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संथाली, मुण्डारी, हो, उरांव/ कुरूख भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संथाली भाषा की लिपि "ओल चिकी", मुण्डारी भाषा की लिपि "देवनागरी", हो भाषा की लिपि "वारंगक्षिति" तथा उरांव/ कुरूख भाषा की लिपि "तोलोंग सिकी है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार संथाली, मुण्डारी, हो तथा उरांव/ कुरूख भाषा का प्रयोग झारखण्ड सहित देश के 29 राज्यों एवं दो केन्द्र शासित प्रदेशों मे करने वाली जनसंख्या क्रमश: 52,16,325, 8,61,378, 9,49,216 तथा 14,26,618 है।

झारखण्ड सहित अन्य कई राज्यों मे इन भाषाओं की पढ़ाई विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय स्तर पर होती है।

जनजातीय भाषाओं के उत्थान के दृष्टिकोण से झारखण्ड सरकार का यह सुविचारित मंतव्य है कि उक्त चारों भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची मे शामिल किया जाय। अतएव यह अनुरोध है कि संविधान के अनुच्छेद 344(1) एवं अनुच्छेद 351 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपबन्ध आठवी अनुसूची मे संथाली, मुण्डारी, हो, एवं उरांव/ कुरूख भाषा को सम्मिलित किया जाय।

विश्वासभाजन,
(मुखत्यार सिंह)
आयुक्त एवं सचिव।

अभिप्रमाणित,
प्रशाखा पदाधिकारी
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
झारखण्ड, रांची

03

प्रभात खबर
शुक्रवार, 20 फरवरी, 2009

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2009 के कुड़ुख भाषा पत्र के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 17/2009

एतद् द्वारा सभी छात्रों, उनके अभिभावकों संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, के पत्रांक 6/नि-1-12/2002-565 दिनांक 18.02.2009 द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय **"कुड़ुख कथा खोड़हा लुर एड़पा भागी टोली"** डुमरी गुमला के 39 (उन्नचालीस) छात्रों को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2009 के कुड़ुख (उराँव) भाषा पत्र को अपनी लिपि **"तोलोंग सिकी"** से परीक्षा लिखने की अनुमति प्रदान की गई है।

अध्यक्ष के आदेशानुसार
ह./-
(पोलिकार्प तिर्की)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/SECY/078/09 Dt. 19.02.09
D.O.P : 20.02.09

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

अधिसूचना

संख्या – JAC/गुमला/16095/12 ...../ झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक संख्या 73 दिनांक 23.01.2016 में लिए गए निर्णय के आलोक में कुड़ुख भाषा की परीक्षा तोलोंग सिकी लिपि में लिखने की अनुमति वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2016 से प्रदान की जाती है।

तोलोंग सिकी लिपि में लिखने वाले परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिका में लिपि संबंधी कॉलम में 'तोलोंग सिकी' अवश्य लिखेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

17/02/16
सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

ज्ञापांक : JAC/गुमला/16095/12-0607/16 / राँची, दिनांक : 17/02/16

प्रतिलिपि : अध्यक्ष के निजी सहायक/उपाध्यक्ष के निजी सहायक/सचिव के निजी सहायक/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/उपसचिव के निजी सहायक/गठित समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/02/16
सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

ज्ञापांक : JAC/गुमला/16095/12-0607/16 / राँची, दिनांक : 12/02/16

प्रतिलिपि : सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड/निदेशक (मा० शि०)' को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

17/02/16
सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

तोलोङ सिकि (लिपि) का आधार

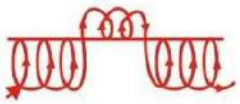

तोलोङ पोशाक

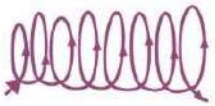

हल–चलाना

चाला अयंग अड्डा

जता चलाना

रोटी पकाना

नृत्य

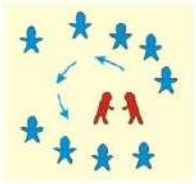

अभिवादन

जीव–जन्तुओं द्वारा बनाये गये चिन्ह

मृत्यु संस्कार

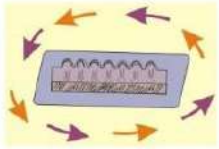

देवी अयंग अड्डा

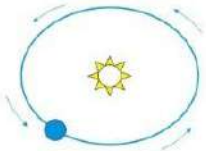

पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा

लत्तर का डाली पर चढ़ना

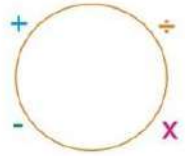

गणितीय चिन्ह

डण्डा कट्टना अनुष्ठान

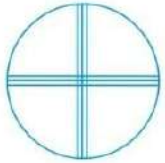

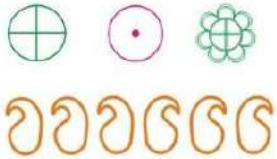

सांस्कृतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान चिन्ह

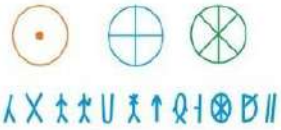

सिन्धु लिपि (Indus Script)

डण्डा कट्टा डिसप्ले शिस्टम

तोलोङ सिकि (लिपि) : आदिवासी भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, विज्ञान एंव आध्यात्म का अद्भूत प्रस्तुतिकरण

तोलोंग सिकि लिपि का आधाार

तोलोंग सिकि एक वर्णात्मक लिपि है। इससे, उच्चारण के अनुसार लिखा एवं पढ़ा जाता है। इसमें हलन्त का प्रयोग नहीं होता है। इस लिपि को कुँड़ुख़ भाषियों ने, कुँड़ुख़ भाषा की लिपि की सामाजिक स्वीकृति प्रदान की है तथा झारखण्ड सरकार द्वारा कुँड़ुख़ भाषा की लिपि की वैधाानिक मान्यता देकर, विद्यालयों में पठन-पाठन का अवसर प्रदान किया गया है। कुँड़ुख़ भाषा एक योगात्मक भाषा है। बोलचाल में, योगात्मक तरीके से खण्ड-ब-खण्ड उच्चरित किया जाता है। इस लिपि के अधिाकतर वर्ण वर्तमान घड़ी के विपरीत दिशा (anti clockwise) में व्यवस्थित है। इस लिपि का आधाार पूर्वजों द्वारा संरक्षित, प्रकृतिवादी सिद्धांत है। हवा का बवण्डर (बईरबण्डो), समुद्र का चक्रवात, अधिकांश लताओं का चढ़ना आदि प्राकृतिक चीजें, घड़ी की विपरीत दिशा में सम्पन्न होती है। प्रकृति के इन रहस्यों को, आदिवासी पूर्वजों ने अपने जीवन में उतारा और जन्म से लेकर मृत्य तक के अनुष्ठान, घड़ी की विपरीत दिशा में सम्पन्न करने लगे। हल चलाना, जता चलाना, छिरका रोटी पकाना, अभिवादन करना, नृत्य करना, चा:ला टोंका की पूजा करना, देबी अयग स्थल की पूजा विधि, डण्डा कट्टना अनुष्ठान आदि क्रियाएँ घड़ी की विपरीत दिशा में निहित है। खगोलीय तथ्य है कि संसार में, अधिक से अधिाक प्राकृतिक घटनाएँ घड़ी की विपरीत दिशा में ही सम्पन्न होती है। ब्रह्मांड में पृथ्वी द्वारा सूयं के चारों ओर घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमा किय जाने से प्रकृति के सभी क्रिया-कलाप इससे प्रभावित होती हैं। इन प्राकृतिक क्रिया-कलापों एवं सामाजिक सह सांस्कृतिक अवदानों को आदिवासी पोशाक तोलोङ की कलाकृति से जोड़कर, भाषा विज्ञान के सिद्धांत पर यह लिपि स्थापित है।

- डॉ॰ नारायण उराँव 'सैन्दा', Mob. : 9771163804, email - oraon.narayan@gmail.com

– डॉ॰ नारायण उराँव 'सैन्दा' (तोलोंग सिकि विषयक शोध-अनुसंधान)